□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य □□ □ि□□□□ □ल□□□ □त्र□□□
स्वास्थ्य □□□ □ि□□□□ □ल□□□ □□□□□

□□□□□□
□□□□□ि□□□ प्रश्□ □ख□□: 699
23 □□□□, 2021 □□ □□□□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

जेनरिक नामों के साथ दवाई लिखना

699. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्□ □□□न□□ □□□□□□□:
श्री चंद्र शेखर साहू:
श्□ □□□ ि□□□:
श्री सुव्रत पाठक:
श्री प्रतापराव जाधव:
श्□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□:
श्□ □□द्यु□ □□□ □□□□:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या स्वास्थ्य □□ □ि□□□□ □ल□□□ □त्र□ यह बताने की कृपा करगे कि:

(□) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम.सी.आई.) ने केवल जेनरिक नाम के साथ दवाई लिखने की सलाह डाक्टरों को दी ह और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अनुपालन की स्थिति क्या है;

(□) क्या सरकार ने डॉक्टरों के द्वारा इस सलाह के कायान्वयन का 'पता लगाने के लिए कोई जांच/अध्ययन किया है;
(□) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या ह और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह,
(□) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वष और चालू वष के दौरान देश भर म डॉक्टरों के द्वारा जेनरिक नाम के साथ दवाइयां नहीं लिखने के संबंध म सरकार/एमसीआई को प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है;

(□) इस तरह की शिकायतों पर अब तक सरकार के द्वारा की गई कारवाई/की जा रही कारवाई का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या ह; और
(□) यह सुनिश्चित करने के लिए कि डॉक्टर केवल जेनरिक दवाइयां लिख और दवाई कंपनियों की मिलीभगत से डॉक्टरों द्वारा ब्रांडेड दवाइयों के प्रोत्साहन और प्रचार को नियंत्रित करने के लिए अन्य कौन-से कदम उठाए गए/उठाए जा रहे ह?

□त□□

स्वास्थ्य □□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □त्री (□□. □□□□□ □□□□ □□□□)

(□) □□(□): भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, लोकाचार और नैतिकता) विनियम, 2002 के खंड 1.5 म यह प्रावधान है कि प्रत्येक चिकित्सक को जेनेरिक नाम वाली औषधियाँ स्पष्ट रूप से तथा मुख्यतः बड़े अक्षरों म लिखनी चाहिए और वह चिकित्सक यह सुनिश्चित करेगा/करेगी कि विवेकपूण तरीके से जैनेरिक औषधियाँ लिखी जाती ह तथा उनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने दिनांक 02.11.2012, दिनांक 18.01.2013 और दिनांक 21.04.2017 को परिपत्र जारी किए ह जिसके तहत उपयुक्त प्रावधानों को अनुपालना हेतु सभी पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनरों को निदेश दिए गए ह।

उपयुक्त विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर संबंधित चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई करने के लिए भारतीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत आयोग के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोड (ईएमआरबी) अथवा उपयुक्त राज्य चिकित्सा परिषदों को शक्ति प्रदान को गई है। जब कभी भी चिकित्सकों द्वारा निर्धारित आचार नीति के उल्लंघन को कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो ऐसी शिकायतों को ईएमआरबी(पहले पूववर्ती एमसीआई द्वारा) उन संबंधित राज्य चिकित्सा परिषदों को भेज दिया जाता है जहाँ वे चिकित्सक/मेडिकल प्रैक्टिशनर पंजीकृत ह। इस मामले म नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोड (ईएमआरबी) अपीलीय प्राधिकरण है। देश भर म चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक नाम वाली औषधियों को लिखे नहीं जाने के संबंध म सरकार/एमसीआई द्वारा प्राप्त शिकायतों को संख्या का विवरण कद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। राज्यों को जेनेरिक औषधियों के प्रिस्क्रिप्शन को सुनिश्चित करने और सावजनिक स्वास्थ्य कद्रों म नियमित प्रिस्क्रिप्शन को लेखापरीक्षा संचालित करवाने को सलाह दी गई है।

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) के तहत प्रमाणन प्राप्त करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन लेखापरीक्षा किया जाना एक आवश्यक शत है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत सावजनिक स्वास्थ्य कद्रों म नि:शुल्क अनिवाय जेनेरिक औषधियों को व्यवस्था हेतु सहायता प्रदान को जाती है।